उपभोक्ताओ के अधिकारो का सजग प्रहरी

उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति 'उमस' जोधपुर

'उपभोक्ता भवन' सेक्टर 9 व 12 के मध्य एच.पी.बिल्डिग के पास
चौपासनी हाउसिग बोर्ड, जोधपुर - 342008 राजस्थान

Registration No.123/Jodhpur/ 92-93
OFFICE TEL- 0291-2701888
Tel [R]-0291-2701515
Mobile-94142 - 47640
E_mail – liyakat_ali9@yahoo.co.in

उपभोक्ता संगठन समूह के रूप मे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) नई दिल्ली से पंजीबद्व NO.-TRAI/CAG/02/2013-CA
उपभोक्ता संगठन समूह के रूप मे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) नई दिल्ली से पंजीबद्व NO. –VCO-04
भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली द्वारा राजस्थान राज्य स्तर पर उपभोक्ता संगठन के रूप मे पंजीबद्व

पत्रक. विशेष /2015 दि.11.05.2015

श्रीमान एडवाईजर, क्यू.ओ.एस.

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण,

नई दिल्ली ।

विषय– टेलीकॉम उपभोक्ता संरक्षण आठवां संशोधन 2015 के संबंध मे सुझाव

मान्यवर,

उपर्युक्त विषय मे निवेदन है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा 29 अप्रेल 2015 को टेलीकॉम उपभोक्ता संरक्षण आठवां संशोधन 2015 डाटा उपयोग के संबंध मे सुझाव आमंत्रित किये है। इस संबंध मे ट्राई ने जो सुझाव प्रस्तावित किये है उस बारे मे हमारे विचार निम्न प्रकार है –

1 डाटा उपयोग के उपभोक्ता जिन्हौने डाटा उपयोग हेतु कनेक्शन लिया है उन्है एस.एम.एस.व अन्य माध्ययम से सूचना देने की अनिवार्यता का लागु किया जाना चाहिये क्योंकि कई उपभोक्ता यह भी शिकायत करते हे कि उनकी पूर्व सहमति के उनके प्लान मे डाटा प्लान लागु कर दिया जाता है जिससे उन्है आर्थिक नुकसार होता है । उपभोक्ता को सूचना होने पर उसे ज्ञात हो सकेगा कि उसके मोबाईल कनेक्शन पर डाटा प्लान लागु है अथवा नही । **अतः ट्राई द्वारा यह प्रस्ताव लागु किया जाना चाहिये यह प्रस्ताव उपभोक्ता हित मे है ।**

2 ट्राई का यह प्रस्ताव स्वागत योग्य है कि उपभोक्ता के डाटा पैक पर उपभोक्ता को उसके डाटा उपयोग की जानकारी मिलती रहे तथा 50 /90/100 प्रतिशत उपयोग पर उपभोक्ता को

टेलीकॉम सेवा प्रदाता द्वारा यह जानकारी दी जाना आवश्यक भी है जिससे उपभोक्ता को डाटा उपयोग की जानकारी मिल सके तथा एक निश्चित सीमा 90/100 प्रतिशत के उपयोग के बाद उपभोक्ता के डेटा प्लान मे क्या टेरिफ लगेगी यह जानकारी उपभोक्ता को मिलने पर वह डेटा के उपयोग मे सावधानी रखेगा अन्यथा उपभोक्ताओ की यह हमेशा शिकायत रहती है कि निर्धारित सीमा के उपयोग की जानकारी नही मिलने के कारण कई बार बाद मे उपयोग का बिल अधिक आ जाता है यदि उपभोक्ताओ को उक्त जानकारी समय पर मिल जायेगी तो डेटा के उपयोग को नियंत्रित कर सकेगा । ट्राई द्वारा उपर्युक्त प्रस्तावित प्रस्ताव उपभोक्ताओ के हित मे है इस प्रस्ताव को लागु किया जाना उपभोक्ताओ के हित मे रहेगा ।

3 ट्राई द्वारा प्रस्तावित यह प्रस्ताव भी स्वागत योग्य हे कि प्रत्येक मोबाईल उपभोक्ता जो डेटा प्लान लेता है उससे लिखित सहमति ली जाये । कई उपभोक्ता उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमो मे यह शिकायत/सुझाव भी देते रहे है कि कई सेवा प्रदाता कंपनियॉ उपभोक्ताओ की बिना लिखित सहमति के ही डेटा प्लान एक्टिवेट कर देते है जिससे उपभोक्ताओ को आर्थिक नुकसान उठान पडता है । अतः ट्राई का यह सुझाव भी उपभोक्ता हित मे है प्रस्ताव लागु किये जाने योग्य है ।

धन्यवाद ।

भवदीय,

(लियाकत अली)
सचिव